# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 1102 सन 2020

अनवान :–

1. श्योकरण पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गुडडी पत्नी नौरग जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. धनी पुत्री नौरग जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. सुरस्वती पुत्री नौरग जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
4. बाधु पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।(फोत)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 127/117 की कुल 7.47710हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाधु पत्नी मनीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में मनीराम पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज थी मनीराम पुत्र सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि बाधो पत्नी मनीराम के नाम से दर्ज हुई थी बाधो पत्नी मनीराम का भी देहान्त हो चुका है जिसक जायज वारिसान उसके दो पुत्र श्योकरण एवं नौरग है जिसमें से नौरग का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इसप्रकार बाधो पत्नी मनीराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो बाधो के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की बाधो पत्नी मनीराम जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मनीराम पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद उसकी पत्नी बाधो पत्नी मनीराम के नाम से दर्ज हुई जिनका भी देहान्त हो चुका है इसलिये वाद भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इसलिये बाधो पत्नि मनीराम के नाम दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य

हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 127/117 की कुल 7.47710हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाधु पत्नी मनीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में मनीराम पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज थी मनीराम पुत्र सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि बाधो पत्नी मनीराम के नाम से दर्ज हुई थी बाधो पत्नी मनीराम का भी देहान्त हो चुका है जिसक जायज वारिसान उसके दो पुत्र श्योकरण एवं नौरग है जिसमें से नौरग का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इसप्रकार बाधो पत्नी मनीराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो बाधो के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 127/117 की कुल 7.47710हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाधु पत्नी मनीराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में मनीराम पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज थी मनीराम पुत्र सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि बाधो पत्नी मनीराम के नाम से दर्ज हुई थी बाधो पत्नी मनीराम का भी देहान्त हो चुका है जिसक जायज वारिसान उसके दो पुत्र श्योकरण एवं नौरग है जिसमें से नौरग का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है इसप्रकार बाधो पत्नी मनीराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो बाधो के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 127/117 की कुल 7.4770हैक भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या संख्या 1 ता 3 बहिब

1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. श्योकरण पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गुडडी पत्नी नौरग जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. धनी पुत्री नौरग जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. सुरस्वती पुत्री नौरग जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
4. बाधु पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।(फोत)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 1102 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 09/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 127/117 की कुल 7.4770हैक भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या संख्या 1 ता 3 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते